क्रम-संख्या–254

रजिस्ट्रेशन नम्बर–जी०–11/लाई०–
न्यूज पेपर/91/05–06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 20 सितम्बर, 2006

भाद्रपद 29, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 402 /79-वि–1–07-1(क) 8-2007

लखनऊ, 20 सितम्बर, 2007

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 2 मार्च, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2007

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2007)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997 की धारा 6 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 6 में, उपधारा (1-क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(1-क) इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, ड्राइवर को छोड़कर नौ से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए रजिस्ट्रीकृत या अनुकूलित कोई मोटरयान मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 66 के अधीन परमिट के बिना उपयोग के लिए नहीं रखा जायगा, जब तक कि उसके सम्बन्ध में धारा 4 के अधीन देय कर के अतिरिक्त चतुर्थ अनुसूची के अनुच्छेद-पाँच के खण्ड (ग) के अधीन उस श्रेणी के यान के सम्बन्ध में देय अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो :

परन्तु इस उपधारा के उपबन्ध उक्त अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी मोटरयान पर लागू नहीं होंगे।"

चतुर्थ अनुसूची का संशोधन

3–मूल अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची में अनुच्छेद-पाँच में, खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(ग) उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा 6 की उपधारा (1-क) द्वारा आच्छादित मोटरयान

	अतिरिक्त कर की दर प्रतिदिन (रुपयों में)
(एक) 35 व्यक्तियों से अनधिक के बैठने की क्षमता वाली गाड़ियों के लिये	300.00
(दो) 35 व्यक्तियों से अधिक के बैठने की क्षमता वाली गाड़ियों के लिये	500.00

परन्तु यान का प्रत्येक स्वामी प्रतिमाह कम से कम 10 दिन का अतिरिक्त कर देने का दायी होगा :

परन्तु यह और कि यदि कोई यान बिना परमिट चलते हुए पाया जाता है तो रुपये 1000.00 प्रति सीट अतिरिक्त कर देय होगा।"

उद्देश्य और कारण

राज्य में मोटरयानों पर कर और किराए पर यात्रियों और माल के परिवहन में लगे हुए मोटरयानों पर अतिरिक्त कर लगाने की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 अधिनियमित किया गया है।

राज्य के राजस्व में वृद्धि करने और करापवंचन को रोकने के लिए यह विनिश्चय किया गया है कि निम्नलिखित की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997) को संशोधित किया जाए :–

(क) ऐसे मोटरयानों पर अतिरिक्त कर की दरों को पुनरीक्षित करना जो ड्राइवर को छोड़कर नौ से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए रजिस्टर्ड हैं या अनुकूलित हैं ;

(ख) त्रैमासिक आधार के स्थान पर वाहन चलने के दिनों के आधार पर अतिरिक्त कर लगाना :

(ग) यान के स्वामी को न्यूनतम दस दिन के लिए मासिक अतिरिक्त कर का भुगतान करने के लिए दायी बनाना :

(घ) ऐसे यानों पर एक हजार रुपये प्रति सीट की दर से अतिरिक्त कर लगाना जो बिना अनुज्ञा-पत्र के चलते हुए पाए जाएं।

तदनुसार उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2007 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
ईश्वर दयाल,
विशेष सचिव।

No. 402/LXXIX-V-1-1(Ka)8-2007
Dated Lucknow September 20, 2007

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Motoryan Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 24 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 2, 2007:–

THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES TAXATION

(AMENDMENT) ACT, 2007

(U.P. ACT NO. 24 OF 2007)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows :-

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2007.

Amendment of section 6 of U.P. Act no. 21 of 1997

2. In section 6 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 hereinafter referred to as the prinicipal Act *for* sub-section 1-A, the following sub-section shall be *substituted;* namely :–

"(1-A)-Save as otherwise provided in this Act, no Motor Vehicle registered, or adapted to carry more than nine persons excluding the driver shall be kept for use without a permit under section 66 of the Motor Vehicles Act, 1988 unless there has been paid in respect thereof in addition to the tax payable under section 4, an additional tax payable in respect of that category of vehicle under clause (c) of Article V of the Fourth Schedule:

Provided that the provisions of this sub-section shall not apply to a Motor Vehicle referred to in sub-section (3) of section 66 of the said Act."

Amendment of Fourth Schedule

3. In the Fourth Schedule to the principal Act, in Article V, *after* clause (b) the following clause shall be inserted, namely:–

"(C)-Motor Vehicles covered by sub-section (1-A) of section 6 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997.

	Rate of Additional Tax per day (In rupees)
(i) For vehicles with seating capacity for not more than 35 persons	300.00
(ii) For vehicles with seating capacity for more than 35 persons	500.00

Provided that each owner of a vehicle shall be liable to pay monthly an additional tax for minimum 10 days:

Provided further that if any vehicle is found plying without permit, an additional tax of Rs. 1000.00 per seat shall be payable."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 has been enacted to provide for the imposition of tax in the State on Motor Vehicles and additional tax on motor vehicles engaged in the transport of passengers and goods for hire.

With a view to augmenting revenue of the State and preventing the evasion of tax, it has been decided to amend the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 (U.P. Act no. 21 of 1997) to provide for,–

(a) revising the rates of additional tax on such Motor Vehicles as are registered or adapted to carry more than nine persons excluding the driver;

(b) imposition of additional tax on the basis of days of operation instead of on quarterly basis;

(c) making the owner of a vehicle liable to pay monthly an additional tax for minimum ten days;

(d) imposing additional tax at the rate of one thousand rupees per seat on such vehicles as are found plying without permit.

The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Bill, 2007 is introduced accordingly.

By order,
ISHWAR DAYAL,
Vishesh Sachiv.

पी०एस०यू०पी० ए० पी० 482 राजपत्र–(हि०)–2007–(1217)–597–(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी० ए० पी० 224 सा० विधायी–2007–(1218)–850–(कम्प्यूटर/आफसेट)।